

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2011—आश्विन 29, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-328-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. परशुराम, आयएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के

साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. परशुराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. परशुराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. परशुराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-821-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एस. सुहेल अली, आयएएस., सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2011 द्वारा दिनांक 26 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2011 तक दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव (कार्मिक).

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

संशोधन

क्र. एफ-ए-5-18-2011-एक (1).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त 2011 द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री ए. के. श्रीवास्तव साहब, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को क्रमशः 02 एवं 05 दिन इस प्रकार कुल 07 दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

(2) राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय के उक्त स्वीकृत अवकाश को निरस्त कर उसके स्थान पर निम्नांकित विवरण अनुसार पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृत किया

जाता है:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	23-6-2011 से 1-7-2011 तक.	9 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित.	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 एवं 3-7-2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 16-25-2011-सात-2ए.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत श्री एन. के. त्रिवेदी, संयुक्त कलेक्टर, विदिशा को जिले में अतिरिक्त कलेक्टर की शक्तियां प्रदत्त करता है. श्री त्रिवेदी, संयुक्त कलेक्टर, विदिशा को उनकी विदिशा जिले में पदस्थ अवधि अथवा अपर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 16-27-2011-सात-2ए.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत श्री एस. एन. शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर, शहडोल को जिले में अतिरिक्त कलेक्टर, शहडोल की शक्तियां प्रदत्त करता है. श्री शुक्ला संयुक्त कलेक्टर को उनकी शहडोल जिले में पदस्थ अवधि अथवा अपर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

क्र. 14300-क्षेपअ-2011.—जबलपुर शहर में भारी वाहनों के कारण आए दिन गंभीर दुर्घटनाओं के कारण शहर में नागरिकों के सुचारू आवागमन तथा यातायात व्यवस्था में कठिनाई आने की जानकारी स्थानीय समाचार-पत्रों व विभिन्न माध्यमों से लगातार प्राप्त हो रही है. कई घटनाओं के दिन में समय भारी वाहनों के शहर में प्रवेश करने से नागरिकों की मृत्यु तक हुई है जिसके कारण कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है.

अतः उक्त गंभीर मुद्दे पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है तथा नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर तथा यातायात के सुचारू संचालन हेतु जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार प्रकार के भारवाही वाहनों का प्रवेश जबलपुर नगर निगम सीमा में प्रातः 6.00 बजे से लेकर रात्रि 9.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया है. अतः उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्नानुसार आदेश लागू किया जाता है:—

1. भारी माल वाहक जैसे ट्रक/डम्पर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाये जा रहे

ट्रेक्टर. नगर निगम सीमा में प्रवेश प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे.

2. निम्न मार्गों पर नो एंट्री से दोपहर 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक छूट रहेगी.

- ए. बाईपास मार्ग तथा पाटन बाईपास चौराहा से चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग.
- बी. कछपुरा माल गोदाम से मेहता पेट्रोल पंप, एम.आर. 4, अहिंसा चौक, स्टेट बैंक चौक होते हुए दीन दयाल चौक तक.

3. आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है:—

1. दुग्ध वाहन
2. नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन
3. पुलिस वाहन
4. फायर बिग्रेड
5. पानी टैंकर
6. आर्मी के वाहन
7. विद्युत् मंडल के कार्य में संलग्न वाहन.
8. एल.पी.जी./पेट्रोलियम पदार्थ वाहन.

यह आदेश दिनांक 1 अक्टूबर 2011 से प्रभावशील होगा.

इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेश निरस्त समझे जावें.

उक्त आदेश में विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर वाहन विशेष को निश्चित समय में छूट हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं नगर निगम की वाहनों हेतु अपर आयुक्त नगर निगम को अधिकृत किया जाता है.

गुलशन बामरा, जिला दण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-30-10-तीन-1702.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके

निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, कोलारस जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णाकुमार भार्गव अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णाकुमार भार्गव को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णाकुमार भार्गव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णाकुमार भार्गव को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 6 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णाकुमार भार्गव से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णाकुमार भार्गव को नोटिस दिनांक 6 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. नोटिस तामिली उपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णाकुमार भार्गव द्वारा एक अभ्यावेदन आयोग को प्रस्तुत किया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में

प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव द्वारा कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त निर्वाचन व्यय का हिसाब निर्धारित सीमा के अन्दर प्रस्तुत किया है, लेकिन व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत नहीं करने का कारण संतोषप्रद नहीं है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 30 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव को विहित समयावधि में दिनांक 11 अगस्त, 2011 कराई गई। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, कोलारस जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-30-10-तीन-1703.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, कोलारस जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्रीमती मुन्नी शर्मा अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक श्रीमती मुन्नी शर्मा को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती मुन्नी शर्मा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती मुन्नी शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 6 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में श्रीमती मुन्नी शर्मा से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी श्रीमती मुन्नी शर्मा को नोटिस दिनांक 6 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 21 जुलाई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी श्रीमती मुन्नी शर्मा द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 30 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती मुन्नी शर्मा आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्रीमती मुन्नी शर्मा को विहित समयावधि में दिनांक 12 अगस्त, 2011 कराई गई। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती मुन्नी शर्मा द्वारा नियम समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय

लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती मुन्नी शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, कोलारस जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-30-10-तीन-1704.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, कोलारस जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार

श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 6 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद को नोटिस दिनांक 6 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 21 जुलाई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 30 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामिली श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद को विहित समयावधि में दिनांक 11 अगस्त, 2011 कराई गई। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद द्वारा नियम समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, कोलारस जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-31-10-तीन-1668.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, बदरवास जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री रघुराज सिंह परिहार अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक श्री रघुराज सिंह परिहार को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी के दिनांक 23 अप्रैल 2010 के पत्र द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रघुराज सिंह परिहार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री रघुराज सिंह परिहार को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 21 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री रघुराज सिंह परिहार से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी श्री रघुराज सिंह परिहार को नोटिस दिनांक 21 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 अगस्त 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी श्री रघुराज सिंह परिहार द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 30 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी श्री रघुराज सिंह परिहार आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामिली श्री रघुराज सिंह परिहार को विहित समयावधि में दिनांक 18 अगस्त, 2011 कराई गई. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री रघुराज सिंह परिहार द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रघुराज सिंह परिहार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, बदरवास जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-34-10-तीन-1706.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष

का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, खनियाधाना जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 8 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां को नोटिस दिनांक 8 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 23 जुलाई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। नोटिस तामिली उपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां द्वारा एक अभ्यावेदन आयोग को प्रस्तुत किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां द्वारा कारण बताओ

नोटिस देने के उपरान्त निर्वाचन व्यय का हिसाब निर्धारित सीमा के अन्दर प्रस्तुत किया है, लेकिन व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत नहीं करने का कारण संतोषप्रद नहीं है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 2 सितम्बर 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। जबकि व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामिली संयुक्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के माध्यम से श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां की पुत्री सुश्री मनीषा झां को विहित समयावधि में दिनांक 16 अगस्त 2011 को कराई गई। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, खनियाधाना जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-30-10-तीन-1707.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, खनियाधाना जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा) अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 12 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा) से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा) को नोटिस दिनांक 12 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 27 जुलाई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा) द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30-6-2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 2 सितम्बर 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा) आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। जबकि व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामिली

संयुक्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के माध्यम से श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा) के पति श्री शरीफउद्दीन को विहित समयावधि में कराई गई। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा) द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, खनियाधाना जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-34-10-तीन-1708.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, खनियाधाना जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार) अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 8 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार) से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार) को नोटिस दिनांक 8 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 23 जुलाई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार) द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 2 सितम्बर 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार) आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। जबकि व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली संयुक्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के माध्यम से श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार) के पति को विहित समयावधि में दिनांक 16

अगस्त 2011 को कराई गई। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार) द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, खनियाधाना जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-261-10-तीन-1715.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, कोठी जिला सतना के आम निर्वाचन में सुश्री सुनीता शारदा प्रसाद गुप्ता अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगर पंचायत कोठी जिला सतना के

निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाजन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 594-स्था. निर्वा./न.पा./09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री सुनीता शारदा प्रसाद गुप्ता द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री सुनीता शारदा प्रसाद गुप्ता को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 मार्च 2010 जारी किया गया। उक्त नोटिस कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से तामील करवाकर कलेक्टर सतना के पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2010 के संलग्न आयोग को प्रेषित किया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

सुश्री सुनीता शारदा प्रसाद गुप्ता को नोटिस दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को तामील हो गया था। अतः उनको दिनांक 5 मई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 18 मई 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी सुश्री सुनीता शारदा प्रसाद गुप्ता ने आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया। कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरत आयोग द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 21 सितम्बर 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामिली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री सुनीता शारदा प्रसाद गुप्ता को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कोठी जिला सतना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-261-10-तीन-1716.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत कोठी, जिला सतना के आम निर्वाचन में सुश्री कंचन पत्नी सतीश अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगर पंचायत कोठी जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी

2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाजन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 594-स्था. निर्वा./न.पा./09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कंचन पत्नी सतीश द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री कंचन पत्नी सतीश को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 मार्च 2010 जारी किया गया। उक्त नोटिस कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से तामील करवाकर कलेक्टर सतना के पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2010 के संलग्न आयोग को प्रेषित किया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि इन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

सुश्री कंचन पत्नी सतीश को नोटिस दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को तामील हो गया था। अतः उनको दिनांक 5 मई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 18 मई 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी सुश्री कंचन पत्नी सतीश ने आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया। कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 21 सितम्बर 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामिली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कंचन पत्नी सतीश को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कोठी जिला सतना का पार्षद या

अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-261-10-तीन-1717.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, कोठी जिला सतना के आम निर्वाचन में सुश्री गीता अर्जुन सोनी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगर पंचायत कोठी जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाजन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 594-स्था. निर्वा./न.पा./09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार

सुश्री गीता अर्जुन सोनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री गीता अर्जुन सोनी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 मार्च 2010 को जारी किया गया। उक्त नोटिस कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से तामील करवाकर कलेक्टर सतना ने पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2010 के संलग्न आयोग को प्रेषित किया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि इन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

सुश्री गीता अर्जुन सोनी को नोटिस दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को तामील हो गया था। अतः उनको दिनांक 5 मई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 18 मई 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी **सुश्री गीता अर्जुन सोनी** ने आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया। कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 21 सितम्बर 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामिली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री गीता अर्जुन सोनी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत कोठी जिला सतना** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(**सुभाष जैन**)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-261-10-तीन-1718.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, कोठी जिला सतना** के आम निर्वाचन में **सुश्री शकुन्तला उर्फ मुन्नी** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। **नगर पंचायत कोठी जिला सतना** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 594-स्था. निर्वा./न.पा./09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री शकुन्तला उर्फ मुन्नी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री शकुन्तला उर्फ मुन्नी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 मार्च 2010 जारी किया गया। उक्त नोटिस कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से तामील करवाकर कलेक्टर सतना ने पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2010 के संलग्न आयोग को प्रेषित किया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त

होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री शकुन्तला उर्फ मुन्नी को नोटिस दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को तामील कराया गया था. अतः दिनांक 5 मई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 18 मई 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी सुश्री शकुन्तला उर्फ मुन्नी ने आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया. कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 21 सितम्बर 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री शकुन्तला उर्फ मुन्नी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कोठी जिला सतना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-11-10-तीन-1740.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके

निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, विजयपुर, जिला श्योपुर के आम निर्वाचन में श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पास दाखिल करना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25 फरवरी 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्योपुर के माध्यम से दिनांक 11 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि इन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा को नोटिस दिनांक 11 मार्च 2010 को तामील कराया गया था. अतः उनको दिनांक 26 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी श्री नरेश उर्फ

सिटुआ शर्मा द्वारा नोटिस की तामीली पर अंकित किया है कि—“मेरे द्वारा नगर पंचायत विजयपुर को अपना हिसाब-किताब बिल . . . नगर पंचायत विजयपुर को प्रस्तुत कर दी गई है.” नोटिस तामील होने के उपरान्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला श्योपुर से अभिमत प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रतिवेदित है कि नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 3 जून 2011 तक अभ्यर्थी श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30 जुलाई 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया लेकिन सूचना-पत्र की तामीली पर पुनः उनके द्वारा अंकित किया है कि—“मेरे द्वारा नगर पंचायत विजयपुर को अपना खर्च का हिसाब दे चुका हूँ. कृपया नगर पंचायत विजयपुर को पत्र जारी करें.” व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र दिनांक 24 जून 2011 की तामीली श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला श्योपुर द्वारा तहसीलदार एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसील विजयपुर के माध्यम से विहित समयावधि में दिनांक 23 जुलाई 2011 को कराई गई. अभ्यर्थी ने अपना व्यय लेखा नगर पंचायत विजयपुर को प्रस्तुत किया था, तो उन्हें अपना पक्ष/प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु आयोग में उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन अभ्यर्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आयोग में उपस्थित नहीं हुए. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत विजयपुर, जिला श्योपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 5 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-11-10-तीन-1741.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत, विजयपुर, जिला श्योपुर के आम निर्वाचन में श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पास दाखिल करना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25 फरवरी 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्योपुर के माध्यम से दिनांक 11 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि इन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू को नोटिस दिनांक 11 मार्च 2010 को तामील कराया गया था. अतः दिनांक 26 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. नोटिस तामील होने के उपरान्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला श्योपुर से अभिमत प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रतिवेदित है कि नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 3 जून 2011 तक अभ्यर्थी श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30 जुलाई 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया लेकिन सूचना-पत्र की तामिली पर पुनः उनके द्वारा अंकित किया है कि—“आज दिनांक 30 जुलाई 2011 को, मैं नगर पंचायत विजयपुर में खर्च का ब्यौरा पेश कर दूंगा जी.” व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र दिनांक 24 जून 2011 की तामिली श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला श्योपुर द्वारा तहसीलदार एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसील विजयपुर के माध्यम से दिनांक 30 जुलाई 2011 को कराई गई. अभ्यर्थी ने सूचना-पत्र की तामिली पर अपना व्यय लेखा नगर पंचायत विजयपुर को दिनांक 30 जुलाई 2011 को प्रस्तुत करने का लेख किया है, लेकिन लगभग एक वर्ष छः माह विलम्ब से व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में कोई कारण/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत विजयपुर, जिला श्योपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 5 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-29-10-तीन-1744.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह

निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद, शिवपुरी जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्रीमती जरीना बानो अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक श्रीमती जरीना बानो को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती जरीना बानो द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती जरीना बानो को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 26 जून 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्रीमती जरीना बानो से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी श्रीमती जरीना बानो को नोटिस दिनांक 26 जून, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 11 जुलाई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी श्रीमती जरीना बानो द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 29 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती जरीना बानो आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्रीमती जरीना बानो के पति श्री कमर अली को विहित समयावधि में दिनांक 24 अगस्त, 2011 कराई गई. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती जरीना बानो द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती जरीना बानो को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद शिवपुरी जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-29-10-तीन-1745.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद, शिवपुरी जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में सुश्री लालीबाई किन्नर अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक सुश्री लालीबाई किन्नर को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री लालीबाई किन्नर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री लालीबाई किन्नर को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 26 जून 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में सुश्री लालीबाई किन्नर से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी सुश्री लालीबाई किन्नर को नोटिस दिनांक 26 जून, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 11 जुलाई, 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी सुश्री लालीबाई किन्नर द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 29 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी सुश्री लालीबाई किन्नर आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली सुश्री लालीबाई किन्नर को विहित समयावधि में दिनांक 24 अगस्त, 2011 कराई गई. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री लालीबाई किन्नर द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री लालीबाई किन्नर** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद **शिवपुरी** जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(**सुभाष जैन**)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-29-10-तीन-1746.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद, शिवपुरी** जिला **शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला **शिवपुरी** के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **शिवपुरी** के दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार

श्रीमती श्याम लाल खन्ना द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 26 जून 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** को नोटिस दिनांक 26 जून, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 11 जुलाई, 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 29 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामिली **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** को विहित समयावधि में दिनांक 24 अगस्त, 2011 कराई गई। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** द्वारा नियम समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्योयोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद **शिवपुरी** जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(**सुभाष जैन**)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-29-10-तीन-1747.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद, शिवपुरी जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती सुमन तिवारी** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक **श्रीमती सुमन तिवारी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला **शिवपुरी** के पास दाखिल करना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **शिवपुरी** के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती सुमन तिवारी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती सुमन तिवारी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 26 जून 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती सुमन तिवारी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी **श्रीमती सुमन तिवारी** को नोटिस दिनांक 26 जून, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 11 जुलाई, 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी **श्रीमती सुमन तिवारी** द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 29 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 25 अगस्त 2011 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी **श्रीमती सुमन तिवारी**, वर्तमान स्थान से कहीं बाहर अन्यत्र स्थान पर रहने के कारण तहसीलदार शिवपुरी द्वारा दोनों मूल प्रतियां वापिस कर दी गई हैं। अभ्यर्थी **श्रीमती सुमन तिवारी**, को व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली पर जमादार माल तहसील कार्यालय द्वारा टीप अंकित की है कि **श्रीमती सुमन तिवारी**, परिषद नामकी शिवपुरी में कोई नहीं रहती इस कारण से गवाही करने से इन्कार। तामीली पर तहसीलदार की एवं जमादार की सील हस्ताक्षर सहित अंकित की है। चूंकि व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण, पहले ही अभ्यर्थी को कारण बताओं नोटिस दिनांक 28 मई, 2010 को जारी किया जा चुका है, जिसकी तामीली स्वयं अभ्यर्थी द्वारा ही की गई है तथा कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून, 2011 में भी अभ्यर्थी **श्रीमती सुमन तिवारी**, को निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओं नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाने की अनुशंसा की है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती सुमन तिवारी**, द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती सुमन तिवारी**, को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद **शिवपुरी जिला शिवपुरी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 5 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 सितम्बर 2011

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . -10-पत्र क्र. 364-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	हरदुआ	0.104	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.	सतना नागौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 28 सितम्बर 2011

नस्ती क्रमांक 11-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 25-अ-82-10-11.—शुद्धिपत्र—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु ग्राम सातमोहनी, तहसील पुनासा, जिला पुर्व निर्माण खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन नवभारत समाचार-पत्र में दिनांक 27 मार्च, 2011 को हुआ है. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
(1)	(2)	(2)
नवभारत में दिनांक 27-03-2011	0.13 हे.	1.13 हे.

उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.13 हेक्टर रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. 1616-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बधेलान	अतरहरा	2.42	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना.	डडिया माइनर जिसकी कुल लम्बाई 1250 मी. है जिसके निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. 1621-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	चौड़ियार	2.083	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर एवं गुढ़ शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1623-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा

(1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण				अनुसूची	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
रीवा	गुढ़	बहेरा	0.094	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1625-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण				अनुसूची	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
रीवा	गुढ़	पांती	1.272	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1627-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण				अनुसूची	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
रीवा	गुढ़	अमिलिहा	0.99	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की अंतर्गत गुढ़ माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1629-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	सहिजना	6.186	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत सहिजना माईनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1631-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	मुडिया	2.310	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत गुढ़ माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1633-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में

उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	गांजर	1.760	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत गुढ़ माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1635-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	पेडेरूवा कोठार.	1.342	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत गुढ़ माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1637-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा

(1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	नारायणपुर	0.960	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत गुढ़ माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
रीवा, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. 1652-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	ग्राम उमरी	15	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म.प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली की दुलेहरा माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1654-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	राजगढ़	10.07	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म.प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली की दुलेहरा माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1656-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	कररिया	2.8	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म.प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली की दुलेहरा माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

प्र.क्र. 01-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	चाका प.ह.नं. 40 नं. बं. 234	0.154	कार्यपालन यंत्री, दायीं तट नहर संभाग क्र. 1, कटनी.	बरगी दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. 611-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है. उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1)(4) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	इन्दौर	बरोदाकरा	0.170	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, इंदौर.	इन्दौर-कनाडिया-सेमलिया चारु के कि.मी. 15/2 पर आशामति सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला इंदौर के भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . .-10-पत्र क्र. 871-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	रनेही	1.528	अनुविभागीय अधिकारी, "राजस्व" अनुविभाग रघुराजनगर, जिला सतना.	बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. 347-वाचक-प्र. क्र. 1-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धरमपुरी	सरजापुर	2.121	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 20, मण्डलेश्वर.	औँकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./औँकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. 356-वाचक-प्र. क्र. 1-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धरमपुरी	तारापुर	15.800	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 20, मण्डलेश्वर.	औँकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./औँकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2107-वाचक-प्र. क्र. 2-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	रामाधामा	10.740	कार्यपालन यंत्री, - नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्र. 2116-वाचक-प्र. क्र. 1-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	उटावद	13.685	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं	(1)	(2)
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	555	0.07
	556	0.07
सागर, दिनांक 2 अगस्त 2011	557	0.17
		कुल योग . . . 4.80

क्र.क-6401-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-12-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—बण्डा
- (ग) ग्राम—कैथोरा
- (घ) क्षेत्रफल लगभग —4.80 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
371, 373/2	0.06
372	0.11
373/1	0.41
374	0.10
386/1	0.40
387	0.12
388	0.01
520	0.10
521	0.56
522	0.12
525	0.13
526/1	0.18
544	0.12
546	0.22
547/1	0.65
547/2	0.05
549	0.53
550	0.25
551	0.35
553	0.02

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है:—बीला फ्रीडर नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान):—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. 9978-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—कुक्षी
- (ग) ग्राम—चीजवाँ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.323 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
167/2	0.210
233/1	0.113
234/12	0.178
167/3	0.229

(1)	(2)
228/3	0.110
229/1	0.184
229/2	0.184
229/3	0.145
228/2	0.217
265/1	0.227
265/2	0.065
263	0.306
261	0.062
257/7	0.105
260/1	0.230
256	0.483
384	0.275

योग : 3.323

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—थाना तालाब नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुशी एवं सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. 2088-वाचक-प्र. क्र.-15-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—मनावर
- (ग) ग्राम—कल्याणपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.170 हेक्टर.
- | | |
|-------------|--------------|
| सर्वे | अर्जित रकबा |
| नम्बर निजी | (हेक्टर में) |
| (1) | (2) |
| 113/1/1/3 क | 0.170 |
- योग : 0.170

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी.

16530 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 11 की आर.डी. 1470 से निकलने वाली 2 आर माइनर आर.डी. 780 मी. से 4950 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.

- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान)कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2094-प्र. क्र.-17-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—मनावर
- (ग) ग्राम—इसकपुरखेड़ी
- (घ) क्षेत्रफल—0.521 हैक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हैक्टेयर में)
(1)	(2)
88/2	0.264
88/4	0.165
82	0.092
	योग : <u>0.521</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/ लघु/उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान)कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी मनावर एवं कार्यपालन यंत्री ओ.एस.पी. नहर संभाग धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2082-वाचक-प्र. क्र.-18-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—खेडीहवेली (पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.920 हेक्टर

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
196/3	0.030
198/1/1	0.136
198/1/2	0.116
198/2	0.010
201/1	0.088
200/1	0.315
201/3	0.050
78/1	0.075
78/2	0.070
141/2	0.030

योग : 0.920

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औँकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 133605 मी. से 133285 मी. की डायरेक्ट माईनर क्र. 68 के सब माईनर के निर्माण के बीच नहर निर्माण हेतु.
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2011

पृ. क्र-05-अ-82-वर्ष-2010-11-पत्र क्र.-66-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—चारगांवकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.367 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
187/1	0.101
187/2	0.056
188	0.101
189, 191/1	0.109
योग . . .	<u>0.367</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोग जिसके लिये आवश्यकता है:—सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान):—का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय गाडरवारा में किया जा सकता है.

पृ.क्र-06-अ-82-वर्ष-2010-11-पत्र क्र.-66-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—सीरिगांव		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.665 हेक्टर.		16/2, 17/2	0.222
खसरा	अर्जित रकबा	10/1छ	0.238
क्रमांक	(हेक्टर में)	10/1च	0.081
(1)	(2)	11	0.142
385/1-2-3	0.089		योग . .0.986
384/1-2	0.121		
378/2	0.133		
377/1, 378/1, 377/3,	0.161		
378/4			
377/2, 378/3, 377/4,	0.153		
378/5			
376/3-4	0.141		
376/2	0.089		
315/2	0.089		
315/1	0.305		
303/3	0.085		
303/2	0.105		
303/1	0.194		
	योग . .1.665		

- (2) सार्वजनिक प्रयोग जिसके लिये आवश्यकता है:—सड़क निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान):—का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय गाडरवारा में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोग जिसके लिये आवश्यकता है:—सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान):—का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीवसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 04 अ-82-वर्ष-2010-11-भू-अर्जन-7289.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—बैतूल
(ग) नगर/ग्राम—बड़गीखुर्द
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—30
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.846 हेक्टेयर.

पू.क-07-अ-82-वर्ष-2010-11-पत्र क्र.-66-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—उल्थन
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.986 हेक्टर.
- | | |
|---------|--------------|
| खसरा | अर्जित रकबा |
| क्रमांक | (हेक्टर में) |
| (1) | (2) |
| 15/2 | 0.101 |
| 15/1 | 0.202 |

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
27	0.108
29/2	0.216
29/3	0.153
28/3	0.045
34	0.066
36/1	0.078
36/2	0.180
	योग : 0.846

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—झारकुंड जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.	(1) 283/7	(2) 0.093
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.	281/2 283/2	0.036 0.080
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	312 293/1	0.008 0.060
बैतूल, दिनांक 5 अक्टूबर 2011	281/1	0.034
प्र. क्र. 11 अ-82-वर्ष-2010-11-भू-अर्जन-9433.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	283/3 291/2 294/1 281/4 281/5	0.080 0.032 0.032 0.016 0.008
अनुसूची	283/4	0.012
(1) भूमि का वर्णन—	281/3	0.034
(क) जिला—बैतूल	283/1	0.012
(ख) तहसील—मुलताई		
(ग) नगर/ग्राम—रिधोरा	283/5	0.080
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—60		योग : 1.266
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.266 हेक्टेयर.		
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	
(1)	(2)	
303/2क	0.048	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेन्द्रया लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
303/2ख	0.008	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
295/1	0.024	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
303/4	0.053	
310	0.020	
300/2	0.020	
301/1	0.008	
301/3	0.009	
303/5	0.121	
303/7	0.024	
295/2	0.044	
300/1	0.016	
301/2	0.130	
293/2	0.060	
292/1	0.032	
292/2	0.032	

क्र. 13 अ-82-वर्ष-2010-11-भू-अर्जन-9431.-संशोधन.— इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13 अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5697 बैतूल, दिनांक 27 जुलाई 2011 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 अगस्त 2011 को भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 2878 पर एवं दैनिक समाचार पेपर “नव दुनिया भोपाल” में दिनांक 13-8-2011 को तथा “ताप्ती समन्वय मुलताई” में दिनांक 12-8-2011 को हो चुका है, की अनुसूची के कालम क्रमांक (3) में नगर/ग्राम-चिखलीकलों के स्थान पर चिखली बुजुर्ग पढ़ा जावे.

प्र. क्र. 14 अ-82-वर्ष-2010-11-भू-अर्जन-9432.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—लाखापुर
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—59
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—3.154 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
369	0.291
370	1.352
367	0.129
384	0.030
366/1	0.097
365	0.028
374	0.100
366/2	0.097
373	0.240
371/2	0.020
376	0.150
363	0.500
371/1	0.120

योग : 3.154

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेन्द्रया लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

बैतूल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 9 अ-82-वर्ष-2010-11-भू-अर्जन-7479.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—कपास्या
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—59
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—7.137 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	6.855
19	0.177
18	0.050
17/7	0.010
17/8	0.010
17/6	0.015
5	0.020

योग : 7.137

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेन्द्रया लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. 1505 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—चिरागपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.209 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/3	0.202
6/1/1	0.405
6/1/2	0.607
6/1/3	0.769
6/1/4	0.607
6/1/5	1.266
6/1/6	0.405
6/1/7	0.445
6/2	0.052
6/3	2.063
6/4	1.619
6/5	0.769

योग : 9.209

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मालखेड़ा तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1506 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव

- (ग) ग्राम—एकतासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.900 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
340/2	0.180
340/3	0.080
342/2	0.055
343/1	0.008
343/3	0.032
345/1	0.115
427	0.035
428	0.080
429	0.155
430/1/1	0.040
430/1/2	0.090
430/2	0.150
430/3/1	0.053
430/3/2	0.053
430/3/3	0.052
430/3/4	0.052
430/5	0.052
430/6	0.208
438	0.160
439	0.240
442/1	0.050
459/1	0.086
459/2	0.050
461	0.120
462	0.890
464/2	0.325
468/2	0.388
470	2.101

योग : 5.900

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मालखेड़ा तालाब योजना के शीर्ष कार्य डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश	(1)	(2)
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	125	0.060
मंदसौर, दिनांक 7 अक्टूबर 2011	137	0.040
ईश्यू क्रमांक-01.—प्र. क्र. 1 ए-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य	149	0.050
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची	130	0.150
के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	145	0.180
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन	139	0.080
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत	124	0.050
इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त	126	0.050
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	कुल योग :	<u>1.320</u>

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—सीतामऊ
(ग) ग्राम—नाटाराम+कोडिया (शिवगढ़)+खोती+मुहाल
नाटाराम+कम्माखेडी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.570+1.860+1.320+9.660+
83.22

सर्वे	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम-नाटाराम

463	0.330
458/2	1.536
459	0.178
460	0.209
458/1	0.200
450	1.254
453, 454	0.863
कुल योग :	<u>4.570</u>

ग्राम-कोडिया (शिवगढ़)

2	0.790
14	1.070
कुल योग :	<u>1.860</u>

ग्राम-खोती

122	0.180
146	0.200
131	0.150
138	0.030
148/1	0.050
123	0.050

ग्राम-मुहाल नाटाराम

201	0.170
200	0.240
199/1	0.090
199/2	0.090
189	0.890
191	0.620
192	1.030
194	1.050
197	0.280
181	0.410
177/1-MIN	0.850
179	0.270
182	1.210
188	0.120
190	1.060
177/2-MIN	0.200
180	1.080
कुल योग :	<u>9.660</u>

ग्राम-कम्माखेडी

150	0.170
153/1	0.260
243	0.250
153/2	0.260
153/3	0.250
154/1	0.200
154/2	0.200
154/3	0.200
276/1	0.260
308/2	0.400
216	0.330
221	0.560
155	0.950
156	0.200
157	0.400
272	0.260

(1)	(2)	(1)	(2)
273	0.310	236/2	0.600
161/1-MIN	0.200	239/2	0.300
158	0.600	241	0.300
160/MIN-2	0.400	242	0.200
322/1	0.600	353	0.160
322/2	0.600	239/5	0.420
161/MIN-2	0.400	245	0.250
162	1.430	276/2	0.260
239/4	0.430	443/356	0.070
164/MIN-1	0.130	309/2	0.560
164/2	0.130	257	0.260
165	0.840	340	0.820
167	0.260	342	0.450
166	0.840	308/3	0.420
168	0.260	309/4	0.300
171	0.100	310/1	0.240
175	0.120	310/2/2	0.500
172	0.320	318	0.280
174	0.210	246/1	0.150
173	0.370	347/1	0.270
208/2	1.000	345/1	0.350
209/1	0.050	352/1	0.170
208/1	0.220	248	0.480
256	0.640	254	0.310
252/2	0.070	258	1.550
253	0.440	259	0.510
209/2MIN-1	0.010	260	0.530
220	0.560	261	0.170
244	0.240	270	0.250
209/2MIN-2	0.400	265	0.410
223/2	0.400	267	0.160
223/1MIN-2	0.600	271	0.250
223/1MIN-1	0.200	262	0.160
228/1	0.020	263	0.240
224	0.410	264	0.240
226	0.600	268	0.250
227	0.500	308/1	0.400
251	0.210	269	0.250
252/1	0.220	274	0.890
228/2	0.600	275	0.230
228/3	0.200	280/2	0.050
228/4	0.800	281	0.150
236/1	0.940	282	0.100
250	0.580	284	0.400
229	0.680	285	0.200
327	1.340	288/MIN-1	0.200
328	0.220	288/MIN-2	0.200
332	2.140	291	0.400

(1)	(2)	(1)	(2)
303/1	1.000	239/3	0.300
305	0.140	231	0.230
313	0.590	436	0.180
317/1	1.250	232	0.260
320	0.120	354	0.080
306	0.260	283	0.110
307	0.600	321	0.120
312	0.700	341	0.780
319/1	0.200	349	0.990
309/1	2.150	247	0.970
309/3	0.300	233/1	0.130
310/2/1	0.260	431	0.430
311	1.690	161/MIN-3	0.400
315/1	0.340	233/2	0.130
441/307	0.130	235/1	0.150
315/2	0.200	235/2	0.400
317/2	0.200	169/2MIN-2	0.200
316	0.400	225/MIN-1	0.200
319/2	0.060	169/3MIN	0.210
329	0.520	225/MIN-2	0.190
330	0.420	169/1MIN	0.390
333	2.150	352/2	0.020
335	1.400	246/2	0.220
336	2.280	230	0.230
334	0.210	234	0.560
338/3	0.420	348	0.760
337	1.560	159	0.940
338/1	0.640	432	0.390
338/2	0.630	433	0.230
339	1.030	152	2.170
437	0.380	239/1	0.300
343	0.540		
344	0.520		
345/2	0.360		
346	0.240		
347/2	0.020		
350	0.860		
434/1	0.090		
210/4	0.040		
434/2	0.100		
210/3	0.040		
345/3	0.010		
434/4	0.100		
160/MIN-1	0.530		
163	0.400		
434/3	0.090		
210/1	0.040		
210/2	0.040		

कुल योग : 83.220

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोटेश्वर तालाब ड्रब क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीतामऊ, जिला मंदसौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. 375-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—बेरमा
(घ) क्षेत्रफल—0.244 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
2198	0.244

निजी खाता भूमि योग रकबा : $\frac{0.244}{0.244}$

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 376-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—जीतनगर
(घ) क्षेत्रफल—0.145 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
339/1क	0.145

निजी खाता भूमि योग रकबा : $\frac{0.145}{0.145}$

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 377-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—गहवरा
(घ) क्षेत्रफल—0.008 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
105	0.008

निजी खाता भूमि योग रकबा : $\frac{0.008}{0.008}$

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 378-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—मानपुर
(घ) क्षेत्रफल—0.379 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
358/1/2	0.379

निजी खाता भूमि योग रकबा : $\frac{0.379}{0.379}$

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

<p>कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग</p> <p style="text-align: center;">पन्ना, दिनांक 30 सितम्बर 2011</p> <p>प्र. क्र. 75-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—</p> <p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला—पन्ना</p> <p>(ख) तहसील—गुनौर</p> <p>(ग) ग्राम—पडेरी</p> <p>(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)— 38.69 हेक्टेयर.</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">खसरा नम्बर</th> <th style="text-align: center;">कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">(1)</th> <th style="text-align: center;">(2)</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1230</td><td>0.34</td><td>1214/1</td><td>2.02</td></tr> <tr><td>1233</td><td>0.39</td><td>1214/2</td><td>8.34</td></tr> <tr><td>1232</td><td>0.11</td><td>1359</td><td>0.09</td></tr> <tr><td>1242</td><td>0.08</td><td>1358/1</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>1241</td><td>0.08</td><td>1171</td><td>0.40</td></tr> <tr><td>1243/1</td><td>0.22</td><td>1212</td><td>0.13</td></tr> <tr><td>1243/2</td><td>0.10</td><td>1362</td><td>0.41</td></tr> <tr><td>1240</td><td>0.33</td><td>1211</td><td>0.05</td></tr> <tr><td>1239/1</td><td>0.18</td><td>1369</td><td>1.03</td></tr> <tr><td>1239/2</td><td>0.18</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1245/1</td><td>1.00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1245/2</td><td>0.70</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1253</td><td>0.41</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1254</td><td>0.30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1251</td><td>0.12</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1247/1</td><td>0.51</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1248/1</td><td>0.20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1248/2</td><td>0.20</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)			(1)	(2)			1230	0.34	1214/1	2.02	1233	0.39	1214/2	8.34	1232	0.11	1359	0.09	1242	0.08	1358/1	0.15	1241	0.08	1171	0.40	1243/1	0.22	1212	0.13	1243/2	0.10	1362	0.41	1240	0.33	1211	0.05	1239/1	0.18	1369	1.03	1239/2	0.18			1245/1	1.00			1245/2	0.70			1253	0.41			1254	0.30			1251	0.12			1247/1	0.51			1248/1	0.20			1248/2	0.20			<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">(1)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">(2)</td> </tr> <tr><td></td><td>1210</td><td>0.06</td></tr> <tr><td></td><td>1229/1</td><td>14.72</td></tr> <tr><td></td><td>1209</td><td>0.23</td></tr> <tr><td></td><td>1221</td><td>0.29</td></tr> <tr><td></td><td>1202</td><td>0.80</td></tr> <tr><td></td><td>1224</td><td>0.03</td></tr> <tr><td></td><td>1231/1</td><td>0.08</td></tr> <tr><td></td><td>1231/2</td><td>0.08</td></tr> <tr><td></td><td>1244/1</td><td>0.33</td></tr> <tr><td></td><td>1244/2</td><td>0.32</td></tr> <tr><td></td><td>1244/3</td><td>0.33</td></tr> <tr><td></td><td>1244/3</td><td>0.33</td></tr> <tr><td></td><td>1246/1</td><td>1.00</td></tr> <tr><td></td><td>1246/2</td><td>0.30</td></tr> <tr><td></td><td>1246/3</td><td>0.60</td></tr> <tr><td></td><td>1250/1</td><td>0.33</td></tr> <tr><td></td><td>1250/2</td><td>0.26</td></tr> <tr><td></td><td>1365/1</td><td>0.04</td></tr> <tr><td></td><td>1364</td><td>0.04</td></tr> <tr><td></td><td>1366</td><td>0.06</td></tr> <tr><td></td><td>1360</td><td>0.04</td></tr> <tr><td></td><td>1361</td><td>0.35</td></tr> <tr><td></td><td>1214/1</td><td>2.02</td></tr> <tr><td></td><td>1214/2</td><td>8.34</td></tr> <tr><td></td><td>1359</td><td>0.09</td></tr> <tr><td></td><td>1358/1</td><td>0.15</td></tr> <tr><td></td><td>1171</td><td>0.40</td></tr> <tr><td></td><td>1212</td><td>0.13</td></tr> <tr><td></td><td>1362</td><td>0.41</td></tr> <tr><td></td><td>1211</td><td>0.05</td></tr> <tr><td></td><td>1369</td><td>1.03</td></tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">योग . . .</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">38.69</td> </tr> </table> <p>(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिली तालाब परियोजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.</p> <p>(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.</p>	(1)		(2)		1210	0.06		1229/1	14.72		1209	0.23		1221	0.29		1202	0.80		1224	0.03		1231/1	0.08		1231/2	0.08		1244/1	0.33		1244/2	0.32		1244/3	0.33		1244/3	0.33		1246/1	1.00		1246/2	0.30		1246/3	0.60		1250/1	0.33		1250/2	0.26		1365/1	0.04		1364	0.04		1366	0.06		1360	0.04		1361	0.35		1214/1	2.02		1214/2	8.34		1359	0.09		1358/1	0.15		1171	0.40		1212	0.13		1362	0.41		1211	0.05		1369	1.03		योग . . .	38.69
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)																																																																																																																																																																																			
(1)	(2)																																																																																																																																																																																			
1230	0.34	1214/1	2.02																																																																																																																																																																																	
1233	0.39	1214/2	8.34																																																																																																																																																																																	
1232	0.11	1359	0.09																																																																																																																																																																																	
1242	0.08	1358/1	0.15																																																																																																																																																																																	
1241	0.08	1171	0.40																																																																																																																																																																																	
1243/1	0.22	1212	0.13																																																																																																																																																																																	
1243/2	0.10	1362	0.41																																																																																																																																																																																	
1240	0.33	1211	0.05																																																																																																																																																																																	
1239/1	0.18	1369	1.03																																																																																																																																																																																	
1239/2	0.18																																																																																																																																																																																			
1245/1	1.00																																																																																																																																																																																			
1245/2	0.70																																																																																																																																																																																			
1253	0.41																																																																																																																																																																																			
1254	0.30																																																																																																																																																																																			
1251	0.12																																																																																																																																																																																			
1247/1	0.51																																																																																																																																																																																			
1248/1	0.20																																																																																																																																																																																			
1248/2	0.20																																																																																																																																																																																			
(1)		(2)																																																																																																																																																																																		
	1210	0.06																																																																																																																																																																																		
	1229/1	14.72																																																																																																																																																																																		
	1209	0.23																																																																																																																																																																																		
	1221	0.29																																																																																																																																																																																		
	1202	0.80																																																																																																																																																																																		
	1224	0.03																																																																																																																																																																																		
	1231/1	0.08																																																																																																																																																																																		
	1231/2	0.08																																																																																																																																																																																		
	1244/1	0.33																																																																																																																																																																																		
	1244/2	0.32																																																																																																																																																																																		
	1244/3	0.33																																																																																																																																																																																		
	1244/3	0.33																																																																																																																																																																																		
	1246/1	1.00																																																																																																																																																																																		
	1246/2	0.30																																																																																																																																																																																		
	1246/3	0.60																																																																																																																																																																																		
	1250/1	0.33																																																																																																																																																																																		
	1250/2	0.26																																																																																																																																																																																		
	1365/1	0.04																																																																																																																																																																																		
	1364	0.04																																																																																																																																																																																		
	1366	0.06																																																																																																																																																																																		
	1360	0.04																																																																																																																																																																																		
	1361	0.35																																																																																																																																																																																		
	1214/1	2.02																																																																																																																																																																																		
	1214/2	8.34																																																																																																																																																																																		
	1359	0.09																																																																																																																																																																																		
	1358/1	0.15																																																																																																																																																																																		
	1171	0.40																																																																																																																																																																																		
	1212	0.13																																																																																																																																																																																		
	1362	0.41																																																																																																																																																																																		
	1211	0.05																																																																																																																																																																																		
	1369	1.03																																																																																																																																																																																		
	योग . . .	38.69																																																																																																																																																																																		

प्र. क्र. 124-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—पिपरियाखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)— 0.479 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
113	0.006
114	0.124
116	0.003
161/1	0.041
161/2	0.041
162/1	0.040
162/2	0.040
183	0.064
184	0.080
185	0.040

योग . . . 0.479

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 128-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज

- (ग) ग्राम—पिपरवाह
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)— 54.385 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
532/1	0.020
532/2	0.030
532/3	0.030
534	0.391
539	0.025
540	0.330
544	0.011
553	0.121
554	0.238
555	0.011
556/1	0.197
556/2	0.197
632	0.180
633	0.696
638	0.154
640	0.078
644	0.038
645	0.687
706	0.015
707	0.105
711	0.370
712	0.302
713	0.027
714	0.441
715	0.360
716	0.206
718	0.392
719	0.280
726	0.030
727	0.220
729	2.457
730	0.070
731	0.020
732	0.280
736/1	0.113
736/2	0.113
737/1	0.174
737/2	0.174
738	0.470

(1)	(2)	(1)	(2)
739	0.357	777/4	0.490
740/1	1.100	778	0.610
740/2	0.320	779	0.477
741	1.120	780	0.565
743/1	0.757	781	0.431
743/2	0.757	782	0.058
744/1	0.240	783	0.170
744/2	0.010	784	0.540
745	1.310	785	0.660
747	0.080	786	1.115
748	0.060	787/1	0.070
749	0.100	787/2	0.080
750	1.360	788	0.110
751	3.120	789	0.130
754/1	1.500	790	0.245
754/2	1.500	845/1	0.202
754/3	0.400	845/2	0.202
755	0.370	845/3	0.202
756	0.150	847/1	0.430
757	0.240	847/2	0.430
758/1	1.000	849/1	2.000
758/2	0.350	849/2	0.430
759	0.890	850/1	2.000
760	0.130	850/2	0.240
764/1	0.190	852	1.193
764/2	0.390	853/1क	0.241
765	0.120	853/1ख	0.100
766	0.520	853/1ग	0.020
767/1	0.330	855	0.940
767/2	0.660	858	0.340
768/1	1.000	1634	0.130
768/2	1.200		
768/3	1.650	योग . . .	<u>54.385</u>
770	1.250	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिदासन	
771	0.770	व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण, डूब क्षेत्र,	
772	1.450	स्पल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.	
774	1.080	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय,	
775	0.800	पन्ना में किया जा सकता है.	
776	0.060		
777/1	0.200	प्र. क्र. 128-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूँकि, राज्य शासन को	
777/2	0.100	यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित	
777/3	0.490	भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन	
		के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक	

एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

		(1)	(2)
अनुसूची		559/1	0.017
		560	0.108
		561	0.145
(1) भूमि का वर्णन—		583/1	
(क) जिला—पन्ना		583/2	0.188
(ख) तहसील—अमानगंज		583/3	
(ग) ग्राम—गडोखर		583/4	
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)— 8.615 हेक्टेयर.		584/1	0.133
		584/2	
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	609	0.179
(1)	(2)	610	0.036
		616	0.010
2	0.064	617	0.117
3	0.004	619	0.005
4	0.005	624/1	0.329
11	0.300	724	0.431
12	0.004	777	0.285
362	0.099	778/1	
363	0.030	178/2	0.444
367	0.062	778/3	
368	0.168	779/1	0.005
370	0.004	780/1	0.018
371	0.524	780/2	
372	0.967	805	0.004
376	0.025	806	0.262
426/1		807	0.044
426/2	0.182	808	0.094
426/3		809	0.213
427	0.006	820/1	0.154
428	0.071	820/2	
429	0.171	822	0.026
431/2	0.051	823	0.251
450	0.124	826	0.208
451	0.014	882	0.150
453	0.178	884	0.002
458	0.311	887	0.358
493	0.222		
495	0.181		
501	0.119		
502	0.063		
503	0.111		
504	0.151		
517	0.003		
518	0.185		
		योग	8.615

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 133-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—बंधूर

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—3.794 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

223

0.011

224

0.194

222

0.009

208

0.103

209

0.068

210

0.078

211

0.077

212

0.059

213

0.009

192

0.211

191

0.010

190/1

0.023

190/2

0.023

186

0.054

189

0.060

188

0.007

119

0.205

118

0.069

116

0.093

120

0.002

68

0.009

121

0.009

70

0.177

67

0.009

63

0.142

64

0.006

56

0.045

57/1

0.022

(1)

(2)

57/2

0.011

57/3

0.096

58

0.009

41

0.194

42

0.009

43

0.074

39

0.048

37

0.023

38

0.009

22

0.176

21

0.012

224

0.108

225

0.006

226/1क

0.056

226/2ख

0.056

226/2

0.058

231

0.006

232/1

0.123

232/2

0.040

233/1

0.003

233/2

0.004

244/1क

0.020

244/1ख

0.071

244/2

0.045

243/1

0.002

243/2

0.002

237

0.103

238

0.038

239

0.005

480/2

0.033

480/1क

0.033

480/1ख

0.033

480/1ग

0.018

480/1घ

0.018

483

0.070

507

0.042

513

0.041

514

0.200

517

0.066

482

0.007

507

0.042

योग

3.794

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—भितरी मुटमुरू जलाशय योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 134-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—ब्यौहारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.650 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
121	0.332
13	0.025
10/1	0.036
10/2	0.036
10/3	0.036
10/4	0.036
10/5	0.038
10/6	0.035
10/7	0.036
10/8	0.040

योग . . . 0.650

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—भितरी मुटमुरू जलाशय योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 135-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—इटवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.904 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
335	0.132
336	0.011
323/1	0.223
323/2	0.223
296/1	0.005
296/2	0.005
297	0.176
291	0.013
290	0.082
298	0.024
299/1	0.028
299/2	0.028
240/1	0.294
240/2	0.294
171/1	0.006
171/2	0.007
172	0.154
175	0.146
176	0.012
177	0.311
178	0.013
13/1	0.027
13/2	0.027
13/3	0.027
13/4	0.027
13/5	0.027
335	0.162

(1)	(2)	(1)	(2)
336	0.007	53	0.003
338/1	0.047	49	0.002
338/2	0.047	57/1	0.041
339/1	0.022	57/2	0.042
339/2	0.022	58/1	0.025
340/1	0.008	58/2	0.026
340/2	0.030	59/1	0.005
342/1	0.007	59/2	0.005
341	0.010	97	0.156
69/1	0.022	81	0.225
69/2	0.022	82	0.019
366	0.062	84	0.055
363	0.052	132	0.122
361	0.035	138/2	0.267
360	0.022	130	0.076
359	0.005	123	0.025
		125	0.081
		127	0.040
योग . .	<u>2.904</u>	योग . .	<u>1.334</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—भितरी मुटमुरू जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 138-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—लमकुश
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.334 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42	0.118
51	0.001

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—भितरी मुटमुरू जलाशय योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 148-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—बाँधी कलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—66.139 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27	0.006
30	0.844
32	2.450

(1)	(2)	(1)	(2)
34	0.482	95	0.110
35	0.027	96	0.160
37/1		97	0.070
37/2		98	0.080
37/3	0.550	99	0.018
37/4		100	0.016
37/5		101	1.740
40/1		111	1.660
40/2	0.008	112	0.570
40/3		113	0.261
41	0.113	119	0.058
42	0.636	120	0.069
43/1	0.078	121	0.592
43/2	0.190	122	0.060
45	0.362	123	1.100
46	0.610	125	0.300
47/1	0.200	126	0.250
47/2	0.212	128	1.250
49	0.026	129	0.210
50	0.247	132	0.610
51	0.037	133	0.277
52	0.084	134	0.431
71	0.012	135	1.032
72	0.242	136	1.439
73	1.080	137	0.520
74	1.430	138	0.700
75/1	0.710	139	0.540
76	0.460	140	0.850
77	0.150	141	0.970
78	0.260	142	0.580
79	0.510	143	0.510
80	0.710	144	0.810
82	0.150	147	0.060
83	1.870	148	0.110
84	0.170	149	0.090
85	0.610	150	0.400
86	1.200	151	0.350
87	0.030	153	1.740
88	1.000	154	0.840
90	0.760	156	0.590
91	0.350	157	0.460
92	1.320	158	0.230
93	0.930	159	0.550
94	0.730	160	0.590

(1)	(2)	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—डोभा जलाशय सिंचाई योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
161	0.650		
162	0.180		
164	1.000		
166	1.450	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
168	0.360		
169	0.060		
170	0.560		
171	0.300		
172	1.020		
173/1	0.180		
173/2	0.340		
174	1.170		
175	0.070		
176	1.180		
179	0.040	(1)	भूमि का वर्णन—
180	0.570	(क)	जिला—पन्ना
181	0.250	(ख)	तहसील—अजयगढ़
182	0.050	(ग)	ग्राम—रायपुर
183	0.260	(घ)	लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—29.01 हेक्टेयर
184	0.160		
185/1	0.440	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
185/2	0.440	(1)	(2)
186	0.400		
187/1	0.630	48/1	0.10
187/2	0.230	48/2	0.10
188	0.950	48/3	0.10
189	1.480	48/4	0.10
190	0.130	60	2.64
191	0.490	69	0.69
192	1.220	64	0.30
193	0.110	65	0.65
194	0.090	72	1.26
195	0.040	86/1	0.74
196	0.050	80	0.40
197	0.070	82	0.90
198/1	0.060	83	0.20
198/2	0.130	88	0.20
199	0.020	87	0.20
200	0.600	93	0.10
202	0.470	89	0.10
204	1.240	139/1	0.07
205	0.280	91/1	0.28
206	0.300	91/2	0.24
		91/166/3	0.20
योग . .	66.139	92/165/3	0.10

(1)	(2)
91/3	0.10
91/166/2	0.05
92/2/168/2	0.04
91/166/1	0.07
92/168	0.04
50	0.20
97	0.11
98	0.07
71	1.30
107	1.93
58	0.80
110	2.33
118	0.08
120	0.70
105	0.20
102	0.17
104	0.35
109	1.64
111	0.92
115/2	0.20
115/1	0.32
156	0.09
154	0.20
141	0.20
139/2	0.20
114	1.00
160	0.10
155	0.10
62	0.10
84	0.89
119	0.04
95	0.05
96	1.44
94	0.78
56	0.20
122	0.16
86/2	2.17

योग . . . 29.01

प्र. क्र. 157-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—बनहरी कलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)— 47.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1289	0.24
1363	0.27
1360	0.27
1358	0.40
1326	0.40
1288	0.19
1328	0.20
1287	0.34
1359	0.33
1286	0.59
1329	0.05
1308	0.41
1361	0.12
1309	0.27
1330	0.19
1291	0.05
1331	0.14
1292	0.29
1362	0.11
1324	0.43
1397	0.45
1290	0.26
1327	0.61
1299	0.18
1307	0.07
1294	0.03
1297	0.03
1303	0.04

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रायपुर तालाब परियोजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

(1)	(2)	(1)	(2)
1305	0.01	1391/1	1.40
1306	0.06	1408/1	0.05
1588	0.50	1391/2	0.18
1391/2	0.18	1392	0.02
1293	0.10	1398	0.04
1298	0.10	1400	0.11
1300	0.02	1399	0.16
1302	0.10	1401	0.07
1304	0.03	1403	0.34
1323	0.78	1404	0.32
1321	0.05	1405	0.35
1322	0.04	1406	0.15
1285/1	0.39	1407	0.31
1285/2	0.70	1408/2	0.28
1263/1463	0.08	1409/2	0.26
1282/3	0.77	1411	0.09
1348	0.44	1412	0.11
1347	0.26	1413	0.15
1335	0.09	1414	0.31
1336	0.01	1415	0.11
1337	0.49	1416	0.21
1338	0.32	1417/2	0.03
1339	0.10	1418	0.17
1340	0.10	1419	0.03
1342	0.06	1435	0.10
1351	0.28	1439	0.14
1341	0.50	1420	0.16
1353	0.17	1421	0.15
1343	0.17	1422	0.10
1344	0.07	1423	0.40
1356	0.43	1434/1	0.07
1345	0.06	1424	0.07
1354	0.11	1425	0.11
1355	0.12	1426	0.23
1357	0.35	1574	1.66
1283	1.12	1575	1.12
1346	0.18	1576	0.94
1350	0.24	1577	2.00
1380	0.10	1578	0.40
1385	0.01	1593	1.24
1386	0.03	1579	1.00
1387	0.05	1585	1.74
1381	0.25	1586	1.46
1384/2	0.35	1589	0.85

(1)	(2)	(1)	(2)
1590	0.90	264/1	0.25
1591	0.45	918	0.08
1594	0.22	920	0.06
1595	0.14	668	0.04
1596	0.24	670	0.04
139	0.21	671	0.04
1317	0.01	705	3.03
1174	0.03	704	0.03
1168	0.02	702	0.04
1176	0.03	699	0.04
1177	0.03	700	0.04
1180	0.03	783	0.04
1175	0.02	789	0.04
1179	0.03	792	0.04
1182	0.10	784	0.02
1181	0.03	785	0.03
1183	0.03	787/3	0.09
1184	0.03	657	0.04
1185	0.06	836	0.05
1236	0.02	837	0.04
1237	0.07	838	0.05
1239	0.06	839	0.05
1243	0.04	831	0.02
1245	0.02	832	0.06
1240	0.04	826	0.04
1244	0.03	823	0.04
1256	0.16	800	0.08
127	0.26	816	0.26
130/2	0.25	815	0.03
134	0.08	814	0.04
137	0.22	887	0.02
140	0.14	888	0.06
150	0.16	909	0.02
299	0.37	919	0.04
306	0.02	921	0.04
638	0.06	903	0.04
640	0.04	1002	0.09
644	0.16	1011	0.03
645	0.16	1003	0.12
650	0.04	1004	0.01
654	0.03	1023	0.05
655	0.03	1003/1451	0.10
646	0.15	1060	0.03
669	0.06	1038	0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
1024	0.05		
1025	0.11	183	0.90
1027	0.11	186/1	0.60
		182	1.14
योग . . .	<u>47.51</u>	191/1	0.30
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बड़ी बनहरी तालाब योजना के अंतर्गत बाँध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.		186/2	0.40
		187/1	0.41
		187/2	0.41
		200	0.50
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.		203/1	1.00
		219	0.20
		220	0.05
		189/1	0.05
		190	0.19
		191/2	0.12
		195	0.05
		240	0.16
		250/2	0.16
		251	0.20
		263/1	0.05
		263/2	0.17
		249/1	0.05
		265/1	0.05
		266	0.12
		270/1	0.08
		203	0.08
		218	0.02
		206	0.50
		282	0.02
		281	0.01
		383/1	0.02
		284/1	0.28
		284/2	0.24
		292	0.08
		293	0.10
		295	0.12
		योग . . .	<u>19.59</u>
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—सकरिया तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.	
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
165	0.05		
166	0.40		
168/2	0.20		
170	0.66		
171/1	0.62		
172	0.87		
191/2	0.10		
173	2.42		
174	1.44		
188	0.95		
189/5	0.90		
189/1	0.45		
189/2	0.05		
189/3	0.85		
189/4	0.80		

प्र. क्र. 163-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पवई

(ग) ग्राम—हथकुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.40 हेक्टर. (निजी भूमि)

खसरा कुल अर्जित रकबा

नम्बर (हेक्टेयर में)

(1) (2)
1102 0.20
1022 0.20

योग . . . 0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :—सिमरा तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 164-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पवई

(ग) ग्राम—सिमराकलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.91 हेक्टर. (निजी भूमि)

खसरा कुल अर्जित रकबा

नम्बर (हेक्टेयर में)

(1) (2)
1107 0.10
1108 0.87

(1)

(2)

1123 0.17

1140/1 1.09

1117 0.18

1131/2 0.50

1131/3 0.50

1077 0.07

1076/1 0.03

359 0.06

1075 0.09

1074 0.18

1070 0.08

367 0.05

360 0.01

363/1 0.02

361/2 0.03

361/1 0.10

361/3 0.01

358 0.02

349 0.05

346/1 0.01

346/3 0.03

346/2 0.03

345 0.01

348 0.01

347 0.02

322/1 0.05

322/2 0.05

321 0.10

320 0.01

317 0.12

316 0.01

266 0.06

267 0.01

265 0.12

259 0.01

260 0.01

254 0.02

253 0.02

योग . . . 4.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :—सिमरा तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 165-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम—रैगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.52 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

1121	0.30
1122	0.15
1126	0.22
1127/2	0.11
1128	0.45
1129	0.05
1130	0.06
1131	0.03
1133	0.30
1134	0.14
1135	0.28
1136	0.14
1137	0.76
1138	0.10
1139	0.06
1140	0.04
1141	0.22
1142	0.14
1143	0.10
1144	0.08
1145	0.13
1146	0.12
1147	0.15
1148	0.04
1149	0.05
1152	0.03
1153	0.08

(1)	(2)
1154/1	0.10
1154/2	0.06
1155	0.03
1156	0.31
1158	0.17
1159	0.01
1160	0.01
1161	0.22
1165	0.28
1166	0.08
1164	0.30
1167	0.03
1168	0.36
1169	0.01
1170	0.22

योग : 6.52

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भिलसांय तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 169-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—बरौंहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.957 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

393	0.204
395	0.272

(1)	(2)	(1)	(2)
396	0.086	509/1	0.170
426	0.138	509/2	
429	0.019	563	0.115
390	0.232	564/1	0.205
88	0.006	564/2	
योग :	<u>0.957</u>	569/1	0.188
		569/2	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मिदासन		569/3	
व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल		570	0.055
चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.		571	0.026
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय		641	0.122
पन्ना में किया जा सकता है.		642	0.050
		643	0.076
		644	0.239
प्र. क्र. 170-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन		662	0.015
को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में		663	0.116
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक		664/1	0.213
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		664/2	
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया		667	0.267
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु		674	0.027
आवश्यकता है:—		677/1	0.514
		677/2	
		679/1	0.223
		679/2	
		681	0.063
		682	0.070
		683	0.256
		687	0.362
		688	0.314
		689	0.037
		690/2	0.146
		690/1	
		691	0.034
		योग :	<u>4.921</u>
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मिदासन	
		व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल	
		चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय	
		पन्ना में किया जा सकता है.	

प्र. क्र. 171-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—कचौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.002 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	
2/2	0.110
2/3	
50/1	
50/2	0.423
50/3	
55	0.187
56/1	0.084
56/2	
57	0.058
58	0.052
59	0.005
62/1	
62/2	0.083
62/3	
62/4	

योग : 1.002

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मिढासन व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—बांधी कलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.977 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
311	0.420
313/1	0.034
317	0.002
318	0.090
319	0.052
320	0.020
322	0.118
323	0.060
325	0.004
324	0.001
427	0.028
429	0.159
434	0.190
435	0.040
438	0.025
441	0.002
442	0.051
443	0.073
444	0.022
446	0.056
447	0.072
449	0.039
456	0.007
475/1	0.108
573	0.111
576	0.022
606	0.132
608	0.105
609/1	0.102
609/2	

प्र. क्र. 172-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक

(1)	(2)	(1)	(2)
610/1	0.271	1913	0.037
610/2		1915	0.126
611	0.125	1917	0.023
612	0.024	1920	0.376
735	0.045	1966	0.020
736	0.225	1968	0.003
741/2	0.000	1969	0.093
741/3	0.000	1970	0.073
745	0.511	1972	0.048
1314	0.156	1973	0.022
1325	0.089	1974	0.250
1326	0.019	1976	0.017
1327	0.168	1977/1	0.139
1328	0.219	1977/2	
1329	0.050	2010	0.037
1331	0.071	2011	0.146
1332	0.044	2025	0.227
1336	0.011	2026	0.016
1534	0.093	2027	0.120
1535	0.123	2037/577	0.129
1537	0.015	2038/577	0.040
1550	0.238		
1551	0.015		
1552	0.486		
1621/1	0.017		
1621/2			
1684/1	0.110		
1684/2			
1685	0.045		
1686	0.012		
1687	0.004		
1690	0.015		
1696	0.017		
1697	0.016		
1698	0.224		
1799	0.062		
1800	0.011		
1803	0.005		
1904	0.018		
1905	0.172		
1910	0.084		
1912	0.080		

योग : 7.977

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोभा जलाशय सिंचाई योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 173-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—बांधी कलां		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—69.438 हेक्टेयर. (निजी भूमि)			
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
		245	0.420
		246	0.590
		247	0.120
		248	3.060
		249	0.480
207	1.450	251/1	0.070
208	0.120	251/2	0.060
209	0.760	251/3	0.060
210	0.550	253	0.280
211	0.800	254/1	0.020
212	1.440	254/2	0.040
213	0.450	255	0.580
214	0.130	256/1	0.140
215	0.880	256/2	0.710
216	0.620	257/1	0.030
217	1.840	257/2	0.150
218	0.250	258	0.930
219	0.790	259	0.040
220	1.130	260	0.100
221	0.170	261	0.930
222	0.680	262	1.960
223	1.240	263	0.070
224	0.600	264	0.040
225	0.370	265	0.440
226	0.370	266	0.850
227	1.190	267	0.850
229	0.330	268	0.160
230	0.410	269	0.370
231	1.210	270	0.170
232	0.540	271	0.140
233	0.510	272	0.280
234	1.440	273	0.030
236	0.220	274	0.830
237	0.500	275	0.089
238	0.530	276	0.090
239	0.700	277	1.323
240/1	0.770	278	0.880
240/2	0.780	513	0.017
240/3	0.780	515/1	0.043
241/1	0.520	515/2	0.730
241/2	0.530	516	0.508
242	1.540	517	0.220
243	0.420	518	0.150
244	0.360	519	0.200

(1)	(2)	(1)	(2)
520	0.100	640	0.220
521	0.090	641	0.100
522	0.030	642	0.100
523	0.450	643	0.358
524	0.130	644	1.060
525	0.070	645	0.050
527	0.910	646	0.830
528	0.680	647	0.830
529/1	0.500	648/1	0.370
529/2	0.540	648/2क	0.740
530	0.200	648/2ख	0.740
531	1.030	649	1.110
532	0.420	650	0.730
533	0.130	651	1.100
534	1.244	654	0.110
535	0.080	655/1	0.079
536	0.078	655/2	0.130
537/1	0.060	657	0.099
537/2	0.060	658	0.572
537/3	0.060	679	0.279
537/4	0.050		
537/5	0.080		योग : 69.438
537/6	0.080		
537/7	0.080		
537/8	0.080		
537/9	0.110		
537/10	0.140		
537/11	0.080		
537/12	0.080		
537/13	0.090		
628	0.437		
629	0.212		
630	0.160		
631	0.440		
632	0.940		
633	0.490		
634	0.210		
635	0.740		
638	0.950		
639	0.350		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोभा जलाशय सिंचाई योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 174-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—बरबसपुरा	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.213 हेक्टेयर. (निजी भूमि)	1661	0.017

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	1671/1	0.028
------------	-----------------------------------	--------	-------

(1) (2) योग : 3.213

634 0.078

635 0.194

638 0.085

640/1 0.053

640/2 0.079

642 0.045

643 0.043

645 0.111

646 0.107

647 0.040

807/1 0.007

807/2 0.007

808/1 0.072

808/2 0.072

810 0.187

813/1क 0.037

813/1ख 0.050

813/2 0.037

813/3 0.037

814 0.112

819 0.083

822 0.057

838/1 0.036

838/2 0.036

839 0.123

840 0.066

844 0.001

845 0.151

847 0.045

848 0.051

849 0.064

855 0.160

857 0.172

858 0.010

1532 0.283

1533 0.139

1538 0.017

1606 0.013

1607 0.199

1608 0.009

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोभा जलाशय सिंचाई योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 175-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—कछगंवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—67.150 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
------------	-----------------------------------

(1)	(2)
-----	-----

1	0.340
---	-------

2/1	0.340
-----	-------

2/2	0.340
-----	-------

2/3	0.340
-----	-------

2/4	0.310
-----	-------

3	1.070
---	-------

4/1	0.660
-----	-------

4/2	0.660
-----	-------

4/3	0.660
-----	-------

4/4	0.660
-----	-------

4/5	0.660
-----	-------

4/64/7	0.660
--------	-------

10	0.150
----	-------

(1)	(2)	(1)	(2)
11	0.660	53	1.670
12/1	0.370	54	0.350
12/2	0.370	55	0.360
12/3	0.370	56	0.310
12/4	0.370	57	0.160
13	1.650	58	0.110
14	0.240	59	0.450
15	3.250	60	0.250
16/1	0.330	61	0.380
16/2	0.330	62	0.770
16/3	0.330	63	0.850
16/4	0.330	64/1	0.040
18	2.060	64/2	1.280
20	0.040	64/3	0.270
21	0.040	64/4	0.280
22	0.420	65/1	0.340
23	0.110	65/2	0.210
24	2.140	65/3	0.440
29	3.300	65/4	0.440
30	0.050	65/5	0.440
31	1.030	66	2.100
32	0.150	67	2.000
33	0.100	68	2.000
34	0.670	69	0.350
35	2.050	70	1.860
36	0.410	71	1.090
38	2.000	73	0.820
39	0.390	74/1	0.790
40	0.550	74/2	0.790
41/1	0.390	76	0.590
41/2	0.400	77	0.290
41/3	0.390	79	2.160
41/4	0.390	80	0.050
42	0.320	82	0.110
43	1.260	72/84/1	0.480
44	0.760	72/84/2	0.400
45	0.790		
46	0.790		
47	0.780		
48	0.960		
49	0.940		
50	1.000		
51	0.280		
52	1.460		

योग : 67.150

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भितरी मुट्ठुमुठु जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 176-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—ककरहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.082 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
21	0.069
22	0.060
23	0.059
24	0.177
27	0.081
28	0.262
45/1	0.018
45/2	0.027
45/3	0.019
46/1	0.167
46/2	0.145
46/3	0.102
50	0.027
51	0.059
62/1	0.050
62/2	0.196
70/1	0.032
70/2	0.220
71/1	0.147
71/2	0.210
89	0.133
90	0.074
91	0.060
93	0.081
95	0.008
335	0.040
336	0.161
337/818	0.070
338	0.013

(1)	(2)
339	0.091
340/1	
340/2	0.003
340/3	
341/1	
341/2	0.044
341/3	
341/4	
342	0.202
343	0.031
344	0.082
345/1	0.020
345/2	
353/1	0.273
353/2	0.164
354/1	0.237
354/2	
372/1	0.030
372/2	
373	0.099
381	0.039
योग : 4.082	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मिढासन व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 178-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—द्वारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.365 हेक्टेयर. (निजी भूमि)		(1)	(2)
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
19	0.029	170	0.400
21	0.122	171	0.220
22	0.500	173	1.130
23	1.490	175	1.030
25	1.170	178	0.010
26	1.752	184	0.940
27	0.260	185	1.350
28	0.042	186	1.250
	योग : 5.365	187	0.480
		188	0.410
		189	0.660
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जसवंतपुरा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.		190/1	0.006
		190/2	0.006
		191/1	0.550
		191/2	0.540
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.		192/1	0.650
		192/2	0.650
		193	0.360
		194	0.493
प्र. क्र. 179-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		195	0.320
		199	0.032
		200	0.040
		202/1	0.146
		202/2	
		205	0.001
		206	0.036
(1) भूमि का वर्णन—		215	0.128
(क) जिला—पन्ना		216	0.029
(ख) तहसील—अमानगंज		226	0.300
(ग) ग्राम—बिक्रमपुर		230/1	0.490
(घ) लगभग क्षेत्रफल—41.463 हेक्टेयर. (निजी भूमि)		230/2	0.730
		231	0.140
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	232	0.110
(1)	(2)	233	0.980
160	0.780	235	0.230
162	1.440	236	0.070
163	0.330	237	0.150
165	1.120	238	0.640
166	0.890	239	0.620
167	0.900	240	0.440
168	0.810	241	0.350
169	0.310	253	0.250
		254	0.260

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जसवंतपुर जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
255	0.490	
257	0.530	
258	0.210	
260	1.570	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
261	0.950	
262	0.940	
265/1	0.100	प्र. क्र. 180-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—
265/2	0.100	
265/3	0.350	
266	0.848	
268	1.580	
269	0.380	
270	0.815	
279	0.200	
280/1	0.230	अनुसूची
280/2	0.160	(1) भूमि का वर्णन—
283	0.075	(क) जिला—पन्ना
284	0.470	(ख) तहसील—अमानगंज
288	0.740	(ग) ग्राम—जसवंतपुरा
289	0.230	(घ) लगभग क्षेत्रफल—89.839 हेक्टेयर. (निजी भूमि)
291	0.710	खसरा नम्बर
292	0.210	कुल अर्जित रकबा
294	0.380	(हेक्टेयर में)
296	0.308	(1)
299	0.194	(2)
221	0.510	711
222	0.580	712
223	0.150	713
224	0.750	715/1
225	0.180	715/2
227	0.070	716
228	0.150	717
229	0.260	718
242	0.350	719
248	0.370	720
264	0.060	721
285	0.540	722
287	0.450	723
300	0.066	724
		725/1
		725/2

योग : 41.463

(1)	(2)	(1)	(2)
726/1	0.600	772	0.260
726/2	0.600	773	0.250
726/3	0.600	774	0.313
728	1.500	775	0.535
729	1.300	776	0.797
730	1.000	777	0.820
733	1.460	779	0.610
735	0.470	782	0.300
739	1.550	783	1.300
740	0.800	784	0.699
742/1	1.300	785	0.930
742/2	0.400	788	0.850
743/1	0.950	807	0.680
743/2	0.600	808	2.000
745	2.000	809	2.850
746	3.350	811	1.000
747	1.950	812	1.690
748	0.800	813/2	0.400
749	0.880	814	0.865
750	1.500	817/1	2.668
751	1.250	817/2	0.500
752	1.400	818	1.660
754	1.800	819	0.451
755	0.500	839	1.396
756	2.000	840	2.000
757	2.000	843	0.472
758	1.400	848	1.500
759	2.000	847	0.820
761	2.000		योग : 89.839
762	0.210		
764	0.510	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जसवंतपुर जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
765	0.220		
766	0.610		
767	1.295	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
768	0.330		
770	0.368		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
771	1.020		धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

क्र. 1534-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—बामनपुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.265 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
113	0.025
114	0.245
115	0.025
119/1	0.130
119/2	0.270
121/1	0.035
144	0.085
145/1	0.350
145/2	0.155
146	0.040
154/1	0.005
154/2	0.115
155/1	0.155
155/2	0.240
156/1	0.260
156/3	0.030
157/3	0.100

योग : 2.265

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1535 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—नांदिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.050 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
147	0.050
योग : 0.050	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1536 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—मालीपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.180 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.115
3/1	0.020
4	0.050
8/1	0.095

(1)	(2)	(1)	(2)
8/2	0.105	138/1	0.075
8/3	0.100	138/2	0.030
8/4	0.100	138/3	0.090
8/5	0.125	139/1	0.230
8/6	0.024	139/2	0.120
8/7	0.015	144	0.005
9	0.025	145	0.230
20/1	0.100	146	0.200
20/2	0.025	148	0.162
20/5	0.120		योग : <u>6.180</u>
20/6	0.115		
22/1	0.120	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
22/2	0.060	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
22/3	0.050		
22/4	0.085		
23/1	0.010		
46/7	0.120		
51/2	0.190		
52/1	0.105		
52/2	0.070		
54/2	0.090		
55	0.515		
56/1	0.020		
59	0.005		
60	0.330		
109/1	0.035		
109/2	0.065		
109/3	0.215		
109/4	0.430		
109/5	0.140		
109/8	0.100		
111/1	0.049		
111/4	0.005		
124/1	0.070		
127/2	0.080		
127/3	0.100		
127/4	0.180		
128	0.185		
135	0.190		
136	0.230		
137/2	0.060		

क्र. 1537 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—अगरवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.799 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/2	0.060
4	0.590
5	0.240
71	0.100
72/1	0.440
73/1	0.360
73/2	0.310

(1)	(2)	(ग) ग्राम—राजपुरा	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.225 हेक्टर.
80/2	0.035	खसरा	रकबा
81/1	0.110	नम्बर	(हेक्टर में)
81/2	0.120	(1)	(2)
81/3	0.100	2/1	0.030
82/3	0.120	2/10	0.165
83/2	0.130	2/2	0.020
83/5	0.160	2/4	0.235
83/6	0.160	7/4, 7/5	0.035
84	0.245	9/5	—
85/1	0.310	9/7	0.035
85/2	0.270	10	0.385
85/3	0.020	13	0.470
116	0.510	44/1	0.225
118/2	0.355	44/2	0.115
121	0.505	44/3	0.160
122/2	0.395	46/1	0.230
191	0.045	48/1	—
192/1	0.300	46/2	0.110
192/3	0.275	47	—
192/4	0.320	48/3	—
199/3	0.214	50/1	0.010
	योग : <u>6.799</u>		योग : <u>2.225</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1538 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1539 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह

(ग) ग्राम—गाडरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.710 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/1	0.025
5/2	0.390
6/2	0.080
6/4	0.010
6/5	0.125
6/6	0.290
7	0.100
17/5	0.370
17/6	0.040
17/7	0.122
18/1	0.420
18/2	0.010
19	—
33/1	0.170
33/2	0.225
34/3	0.430
34/4	0.010
34/5	0.320
41/3	0.010
41/4	0.283
41/5	0.045
41/6	0.015
43	—
42	0.355
46	—
47	—
65/1	0.180
65/2	0.110
65/3	—
75/1	0.110
65/4	0.145
75/2	0.250
65/5	0.170
65/6	0.185
66	0.020
67/3	0.025
68/1	0.240
67/1	0.220
68/3	0.010
67/2	0.065
68/2	0.050
72/1	0.080
73/2	0.005
योग :	<u>5.710</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1540 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—बड़वाह

(ग) ग्राम—बफलगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.160 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
154/2	0.040
155/2	0.995
158/1	0.660
158/2	0.100
237	0.295
238/1	0.150
238/2	0.195
245/3/1	0.200
245/3/2	0.350
245/4	0.120
246	0.940
247/4	0.115

योग : 4.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1541 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—पिड़ायबुजुर्गा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.180 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
25	0.025
27	0.040
28/1	0.240
28/2	0.170
28/3	0.240
30/1	0.180
30/2	0.170
30/3	0.055
45/2	0.090
45/3	0.170
45/4	0.070
46	0.355
48/1	0.050
48/2	0.220
48/3	0.200
49	0.620
50/1	0.020
51	0.095
202/1	0.150
202/2	0.300
202/3	0.340
202/4	0.380
योग :	4.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1542 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—सिरलाय
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.991 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
93/1	0.135
96/2	0.110
98/1	1.011
99/1	0.465
110/2	0.270
योग :	1.991

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.